(31)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप,भोपाल

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1972 रिवीजन प्र.क. /2018

1. शिवराजसिंह आत्मज श्री थानसिंह कलावत
2. मुन्ना आत्मज श्री थानसिंह कलावत

दोनों निवासी–ग्राम कैथोरा तहसील कुरवाई
जिला विदिशा ----रिवीजनकर्ता/अनावेदक

विरुद्ध

कृष्णगोपाल आत्मज श्री रतनलाल लोहार
निवासी–ग्राम छीरखेड़ा तहसील कुरवाई
जिला विदिशा ---------रेस्पाडेंट/आवेदक

(90)

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

विद्वान न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग–भोपाल द्वारा प्र.क्र.143/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 जिसके द्वारा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा के प्र.क्र.17/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 को अपास्त कर न्यायालय तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा के प्र.क्र.8/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 को स्थिर रखकर अपील स्वीकार की जिससे व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब सादर समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के सक्षिप्त सुसंगत तथ्य

01. यह कि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पाडेंट ने न्यायालय तहसीलदार के समक्ष दिनांक 12.10.2015 को आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम छीरखेड़ा तहसील कुरवाई की भूमि खसरा क्रमांक 525/3 रकबा 0.192 हेक्टेयर का दिनांक 25.06.2015 को सीमांकन करने पर संपूर्ण भूमि पर रिवीजनकर्ता का कब्जा पाया गया।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानीविदिशा/भू.रा./2018/1972

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा के तर्कों पर विचार किया। आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को पृथक से चुनौती नहीं दी गई है। इस कारण उन्होंनें संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदक को कोई लाभ न देने का निष्कर्ष निकाला है। उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 2006 आर.एन. 415 के आधार पर प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह औचितयपूर्ण एवं न्यायिक है। प्रथम दृष्टया उनके आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य** 3	